सप्तदश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग–4

वृहस्पतिवार, तिथि 27 फाल्गुन, 1942 (श०)
18 मार्च, 2021 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 04

(1)	कृषि विभाग	02
(2)	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	01
(3)	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	01
	कुल योग --	04

संयंत्र लगाना

'क'-59. श्री प्रेम शंकर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-99 वैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में गोपालगंज, सीवान, भोजपुर, वैशाली, अररिया, कटिहार, किशनगंज सहरसा, मधेपुरा, पटना, नालंदा, पूर्णियाँ, बक्सर, अरवल, शेखपुरा, सारण एवं गया जिलों में 15 कि०मी० की परिधि में फसल क्षति का आकलन करने हेतु मौसम आधारित संयंत्र लगाना था ;

(2) क्या यह बात सही है कि किसी भी कार्य एजेंसी द्वारा उक्त जिलों में मौसम आधारित संयंत्र 15 किलोमीटर की परिधि में नहीं लगाये जाने के कारण किसानों को फसल क्षति का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाया ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर राज्य के सभी जिलों में मौसम आधारित संयंत्र लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

60. मो० आफाक आलम (क्षेत्र संख्या-58 कसबा)--हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 31 जनवरी, 2021 को प्रकाशित शीर्षक ''दाखिल-खारिज के दस लाख मामले लंबित'' के आलोक में क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला में 44 हजार, भोजपुर में 37391, गया में 35907 सहित राज्य के अन्य जिलों में 10 लाख से अधिक दाखिल-खारिज के मामले लंबित हैं, जिसके कारण जमाबंदी रसीद, भूमि स्वामित्व प्रमाण-पत्र समय पर नहीं मिलने से आम लोगों का काफी कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार ससमय दाखिल-खारिज नहीं करने वाले दोषी पर कार्रवाई करते हुये ससमय दाखिल-खारिज करवाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

राशन कार्ड यूनिट बढ़ाना

61. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोध गया)--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार राज्य में कोविड-19 महामारी के बाद राज्य के प्रत्येक जिला में नया राशनकार्ड बनवाने का प्रावधान किया है ;

(2) क्या यह बात सही है कि नये राशन कार्ड बनाने में राज्य के एक परिवार में केवल एक से दो यूनिट का राशन कार्ड बनाया गया है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राशनकार्ड में परिवार के सदस्यों के अनुसार यूनिट बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) स्वीकारात्मक है ।

(2) नहीं । राशन कार्ड में यूनिटों की संख्या परिवार द्वारा दी गयी जानकारी एवं साक्ष्य के आधार पर ही दर्ज की जाती है।

(3) वस्तुस्थिति यह है कि नये राशन कार्ड के निर्गमन हेतु प्रपत्र 'क' एवं नाम जोड़ने, हटाने जैसे संशोधन एवं राशन कार्ड प्रत्यर्पण हेतु प्रपत्र 'ख' में आवेदन किया जा सकता है, जिसकी जाँच कर नियमानुसार राशन कार्ड निर्गत/संशोधित आदि किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है।

नोट—'क'-सहकारिता विभाग के ज्ञापांक 723, दिनांक 3 मार्च, 2021 द्वारा कृषि विभाग में स्थानान्तरित ।

कोल्ड स्टोरेज बनवाना

62. श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह (क्षेत्र संख्या-221 नवीनगर)--स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 अगस्त, 2019 को प्रकाशित शीर्षक "फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में सड़ रहा किसनों का आलू" के आलोक में क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 2018 में 5.7 एवं वर्ष 2019 में भी 5.7 मिलियन आलू का उत्पादन हुआ और राज्य देश में आलू उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में हर साल 3 लाख टन आलू कोल्ड-स्टोरेज एवं बाजार के अभाव में सड़ जाते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के आलू उत्पादक किसानों के हित में आलू आधारित उद्योग एवं कोल्ड स्टोरेज की स्थापना कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) आंशिक स्वीकारात्मक है । बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। वर्ष 2019 में 81 लाख मि० टन आलू का उत्पादन हुआ है।

(2) बिहार में प्राईवेट सेक्टर में कुल 395 कोल्ड स्टोरेज है, जिसकी क्षमता कुल 19.39 लाख मि० टन है । कार्यशील कोल्ड स्टोरेज की संख्या 204 है, जिसकी क्षमता 11.85 लाख मि० टन है।

(3) आलू का भंडारण आलू के हार्वेस्टिंग के समय बाजार में प्रचलित बिक्री दर पर निर्भर करता है। बाजार में आलू का बिक्री दर अच्छा रहने पर ज्यादा से ज्यादा मात्र में आलू बेच दिया जाता है। बिक्री दर कम रहने पर कृषक कुछ समय के लिये आलू का भंडारण करते हैं।

बिहार में आलू प्रसंस्करण इकाई की कमी है। फलतः उत्पादित आलू का अधिकांश मात्रा सब्जी के रूप में बिक्री की जाती है। प्रसंस्करण इकाई को राज्य में बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विभाग द्वारा Bihar Agriculture Investment Policy, 2020 लागू की गयी है, जिसमें प्रसंस्करण इकाई के लिये 25 लाख से 5 करोड़ तक के परियोजना प्रस्ताव पर व्यक्तिगत उद्यमी को 15 प्रतिशत, एफ०पी०ओ०/एफ०पी०सी० को 25 प्रतिशत पूँजीगत अनुदान का प्रावधान है। अ०पि०वर्ग/अ०जा०/अ०ज०जा० आवेदक को 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान एवं विधवा के लिये अतिरिक्त 2 प्रतिशत का प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं किया जाता है। बल्कि कोई निवेशक/उद्यमी/कृषक/कृषक समूह कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराना चाहता है, तो उसे राष्ट्रीय बागवानी मिशन/मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के क्रेडिट लिंक्ड बैंक इण्डेड सब्सिडी के तहत अनुमानित लागत @ Rs. 8000/MT अधिकतम मिट्रिक टन रुपये 400.00 लाख रुपये समन्वित उद्यानिक विकास मिशन द्वारा 35 प्रतिशत अधिकतम 140.00 लाख रुपये तक की सहायतानुदान उपलब्ध करायी जा सकती है।

पटना :
दिनांक 18 मार्च, 2021 (ई०)।

राज कुमार सिंह,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि०स०मु० - 134 (एल०ए०), 2020-21 डी०टी०पी० -550